राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–494/2011/जयपुर

मै0 कैरियर एयरकोन लि0
45–56 शास्त्री नगर कॉम्पलेक्स, जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(अपील्स) तृतीय,वा.क.जयपुर
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, वृत्त द्वितीय, करापवंचन
कोटा (राजस्थान) ...प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. एन. गर्ग ...अपीलार्थी की ओर से
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 92/अपील्स–चतुर्थ/10–11/ई में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 01.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त द्वितीय, करापवंचन कोटा (राजस्थान) (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 03.07.1998 द्वारा आरोपित शास्ति रूपये 30,776/– को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की गयी।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी के द्वारा दिनांक 03.06.1998 को बड़गांव चुंगी नाके पर वाहन संख्या डीएन–09–8616 को चैक किया। वाहन में एयरकंडीशनर सिल्वासा से कोटा, अलवर, सवाईमाधोपुर एवं अजमेर के लिए परिवहनित किये जा रहे थे। वाहन चालक ने माल से संबंधित इनवाईस संख्या 9176 दिनांक 30.05.1998 , इनवाईस संख्या 9170 दिनांक 30.05.1998, इनवाईस संख्या 9171 दिनांक 30.05.1998 तथा इनवाईस संख्या 8061 दिनांक 24.05.1998 पेश किये। जिसमें बताया कि हम कम्पनी के अधिकृत परिवहन एजेन्ट है, जो कि कम्पनी के माल को कोटा में डिलीवरी श्री अशोक चौधरी को देते हैं जो कम्पनी का अधिकृत प्रतिनिधि है एवं अलवर के माल की डिलीवरी अलवर चुंगी नाके पर पहुँच कर मैसर्स एयरकोन लि. के अधिकृत डीलर को देते हैं जिससे स्पष्ट है कि मैसर्स कैरियर एयरकोन लि. राजस्थान में माल लाकर स्थानीय क्रेताओं को अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेन्ट के माध्यम से डिलीवरी देते है। माल के परिवहन में रास्ते की जोखिम की समस्त जिम्मेदारी कम्पनी द्वारा वहन की जाती है एवं लगने वाला भाड़ा भी कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा राजस्थान में माल लाकर एजेन्ट के मार्फत लोकल बिक्री की जा रही है परन्तु करापवंचन की नियत से व्यवसाई द्वारा जानबूझकर स्थानीय एजेन्टों के मार्फत पूर्व आदेश प्राप्त करके जानबूझकर बिक्री बिल सीधे सिल्वासा के ग्राहकों के नाम जारी करके स्वयं राजस्थान में पंजीकृत होते हुए भी बिना एस.टी.–18–ए प्रपत्र के प्रयोग

लगातार.....2

किये, माल का परिवहन किया जाकर अधिनियम की धारा 78(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(ए) के तहत करापवंचन के संदेह में माल को कब्जे में लिया। परिवहन किये गये माल (कैरियर ब्राण्ड एसी नग–4) के संबंध में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। सशक्त अधिकारी ने इसी बीच माल प्रेषिति दो फर्म के संबंध में जांच की गयी। सशक्त अधिकारी ने मैसर्स एयरकोन लि. के अधिकृत डीलर मैसर्स टैक्नोमेटिक्स, कोटा के श्री अनिल चौधरी के बयान कलमबद्ध किये जिसमें बताया कि वे कम्पनी के केवल लाइजनिंग एजेन्ट हैं। क्रेताओं के ऑर्डर, चैक/ड्राफ्ट लेकर कम्पनी के जयपुर कार्यालय को भेज देते है। कम्पनी के जयपुर ऑफिस से आर्डर, चैक/ड्राफ्ट सिल्वासा भेजा जाता है जहां माल आने के बाद क्रेता को डिलीवरी दे देते हैं। बाकि सारे काम फिटिंग, सर्विसिंग, गारन्टी आदि कम्पनी के जयपुर ऑफिस द्वारा किया किया जाता है। चूंकि मैसर्स एयरकोन का ऑफिस जयपुर में है एवं जयपुर ऑफिस द्वारा ही व्यापार संबंधी सारे कार्य किये जाते हैं जिस पर सशक्त अधिकारी ने व्यवसाई को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत नोटिस जारी किया जिसकी पालना में व्यवसाई ने जवाब पेश किया। सशक्त अधिकारी ने यह स्पष्ट माना कि व्यवहारी ने जानबूझकर स्थानीय कर चोरी की नियत से अपूर्ण एवं मिथ्या दस्तावेज बनाकर अधिनियम की धारा 78(2) का उल्लंघन किया है जिस पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत परिवहनित माल एयरकंडीशन नग 4 कीमतन रूपये 1,02,587/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 30,776/– आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील के आधारों में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने यह मानते हुए शास्ति आरोपित की है कि कैरियर एयरकोन सिल्वासा ने अपीलार्थी के लिए जयपुर राजस्थान को माल वास्तव में भेजा तथा दस्तावेज विभिन्न क्रेताओं के नाम बनाये इस आधार पर आरोपित शास्ति अविधिक है। अपीलार्थी ने ब्रांच ट्रांसफर के रूप में माल नहीं मंगवाया बल्कि राजस्थान के विभिन्न क्रेताओं ने अपीलार्थी को क्रय आदेश दिये जिनकी पूर्ति हेतु अपीलार्थी ने अपनी ब्रांच सिल्वासा को निर्देश दिये कि वे सीधे क्रेताओं के नाम से दस्तावेज बनाकर माल भेजे, यह नियमानुसार है क्योंकि माल का परिवहन सिल्वासा से सीधे राजस्थान के क्रेताओं के लिए हुआ। माल की डिलीवरी क्रेताओं द्वारा ली गई। उनका निवेदन था कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे।

4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि एयरकंडीशनर सिल्वासा से कोटा, अलवर, सवाईमाधोपुर एवं अजमेर के लिए परिवहनित किये जा रहे थे, जिसके साथ घोषणा पत्र एस.टी–18–ए संलग्न नहीं था। अपीलार्थी द्वारा एयरकंडीश्नर क्रेताओं से प्राप्तकर उनके

लगातार.....3

नाम से सीधे ही बिल बनाकर विभिन्न स्थानीय डीलरों/प्रतिनिधियों के माध्यम से राजस्थान राज्य में डिलीवरी दी जाती थी। अपीलार्थी व्यवहारी जानबूझकर स्थानीय कर चोरी की नियत से अपूर्ण एवं मिथ्या दस्तावेज बनाकर माल परिवहन करता है। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रेषिति फर्म के सम्बन्ध में जांच की जाकर मैसर्स एयरकोन लि0 के अधिकृत डीलर मै0 टेक्नोमेटिक्स, कोटा के श्री अनिल चौधरी के बयान कलमबद्ध किये जिसमें बताया कि वे कम्पनी के लाईजनिंग एजेंट है, जो क्रेताओं के आर्डर, चैक/ड्राफ्ट लेकर कम्पनी के जयपुर कार्यालय को भेज देते है। कम्पनी के जयपुर ऑफिस से आर्डर, चैक/ड्राफ्ट सिलवासा भेजा जाता हैं जहां माल आने के बाद क्रेता को डिलेवरी दे देते है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा माल एयरकन्डीशनर के ऑर्डर क्रेताओं से प्राप्त कर सीधे उनके नाम से ही बिल बनाकर डिलेवरी दी जाती है। व्यवहारी द्वारा यह दृष्टिकोण जानबूझकर करापवंचन की नियत से अपनाया गया है। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी के समस्त कृत्यों एवं रेकार्ड का परिशीलन कर ही शास्ति का आरोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी के समस्त कृत्यों को आधार मानकर आरोपित शास्ति को यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.11.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष